न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 01/2018

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. सविता परिहार पत्नी श्री कैलाशचन्द्र परिहार उम्र-52 वर्ष, जाति- छीपा, निवासी- गांव भोपालगढ, तहसील भोपालगढ, जिला- जोधपुर		1. परसराम उर्फ परसाराम देवड़ा पुत्र श्री बादरराम देवड़ा, जाति माली, निवासी-पुटीयों की ढाणी, गांव भोपालगढ तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर 2 गोरधनराम पुत्र श्री भींयाराम, जाति- माली, निवासी-राइकाबाग कॉलोनी, गांव- भोपालगढ, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 3 ओमप्रकाश पुत्र श्री कंवराराम, जाति- माली, निवासी- दीपक एग्रो सेल्स, बस स्टेण्ड, भोपालगढ, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 4 माधुराम पुत्र श्री प्रभुराम, जाति- माली, निवासी सांखला कृषि फॉर्म, ग्राम बिराई, तहसील-बावड़ी, जिला जोधपुर हाल प्रतिष्ठानः- कानजी स्वीट होम, पावटा सर्किल के पास, जोधपुर 5 धोकलराम पुत्र श्री उम्मेदराम, जाति- माली, निवासी उम्मेद बाबा की ढाणी, तारबन्दी के पास सोपड़ा रोड़, भोपालगढ, जिला जोधपुर। 6 घीसाराम पुत्र श्री रामसुख 7 लूणाराम पुत्र श्री रामसुख, दोनों जाति- माली, निवासीगण- पुटीयों की ढाणी, भोपालगढ, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर 8 ग्राम पंचायत भोपालगढ जरिये सचिव, पंचायत समिति भोपालगढ, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आदेश मिसल संख्या 41/10.07.1980 पट्टा संख्या 1 दिनांक 03.10.1980 ग्राम पंचायत भोपालगढ द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थितिः- 1. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 8 बावजूद नोटिस तामील कोई उपस्थित नहीं।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 18.01.2019

प्रार्थीया सविता परिहार पत्नि श्री कैलाशचन्द्र परिहार उम्र 52 वर्ष, जाति छीपा निवासी ग्राम भोपालगढ तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थीगण परसराम उर्फ परसाराम देवड़ा पुत्र श्री बादरराम देवड़ा, जाति माली निवासी पुटियों की ढाणी ग्राम

भोपालगढ तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत भोपालगढ द्वारा दिनांक 03.10.1980 को मिसल संख्या 41/10.07.1980 को जारी पट्टा संख्या 01 को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भोपालगढ के बस स्टेण्ड पर निगरानीकर्ता/प्रार्थीया का रजिस्टर्ड खरीदसुदा, कब्जासुदा, मालिकाना, हक- हकूक का खसरा संख्या 964 में 18X07 फुट यानि 126 वर्गफुट नाप पट्टा संख्या 37 दिनांक 05.05.2002 में से 09X07 फुट यानि 63 वर्गगज नाप का प्लॉट श्री शोभाराम पुत्र श्री चूनाराम जाति जाट निवासी भोपालगढ से दिनांक 18.10.05 को व प्लॉट नं. 17 बनाप 09X25 फुट यानि 225 वर्गफुट पट्टासुदा भूमि श्री कैलाशचन्द्र पुत्र श्री रामपाल छींपा व बाबूलाल पुत्र श्री चूनाराम, जाति जाट निवासी ग्राम भोपालगढ से दिनांक 05.11.2005 को खरीद किया, जो कि कुल भूमि बनाप 09X32 फुट 288 वर्गफुट पट्टासुदा भूमि खरीद की, जिस पर वक्त खरीद से आज दिन तक प्रार्थीया का शान्तिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है, लेकिन न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश, पीपाड़ शहर के समक्ष विचाराधीन दिवानी मूल वादसंख्या 11/2003 गोरधनराम वगैरा बनाम श्यामलाल वगैरा में अप्रार्थी संख्या 02 से 05 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत करने पर न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश, पीपाड़ शहर द्वारा दिनांक 15.12.2016 को प्रार्थीया को प्रतिवादी संख्या 04 के रूप में जोड़ा गया। जिस पर प्रार्थीया को नोटिस तामील होने पर प्रार्थीया को ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 01 परसराम उर्फ परसाराम देवड़ा के पिता व तत्कालीन सरपंच बादरराम देवड़ा ने ग्राम भोपालगढ के बस स्टेण्ड पर ग्राम पंचायत भोपालगढ के स्वामित्व की गैर-मुमकिन मगरा की बेशकीमती करोड़ों रूपये की भूमि का पट्टा अपने नाबालिग पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी कर दिया, उक्त जमीन का नाप व पड़ोस निम्नानुसार है:-

उत्तर में - अमराराम पुत्र राजाराम का प्लॉट है।
दक्षिण में - आम रास्ता, सड़क व निकाल 3 है।
पूर्व में - आम रास्ता, सड़क व निकाल 2 है।
पश्चिम में - किशनचन्द पुत्र श्री धनराज का प्लॉट है।
नाप:- 40X85+75 = 355.55 वर्ग गज

उक्त नाप व पड़ौस वाली करोड़ो रूपयों की ग्राम पंचायत भोपालगढ के बस स्टैण्ड की व्यावसायिक उपयोग योग्य बेसकीमती भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 के पिता व तत्कालीन सरपंच श्री बादरराम देवड़ा ने स्वयं व अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 01 को लाभ पंहुचाने व ग्राम पंचायत को सदोष हानि कारित करने के उद्देश्य से विधि विरूद्ध तरीके से अपने पद का दुरूपयोग कर अपने नाबालिग पुत्र अप्रार्थी संख्या 01 परसराम पुत्र बादरराम देवड़ा निवासी भोपालगढ के नाम से मिसल संख्या 41/10.07.80 पट्टा संख्या 01 दिनांक 03.10.1980 जारी कर दिया। अप्रार्थीगण निगरानीधीन पट्टे के आधार पर प्रार्थीया की पट्टासुदा, खरीदसुदा, कब्जासुदा जमीन के कुछ हिस्से पर अपना हक एवं स्वामित्व जता रहे हैं, जो अप्रार्थी संख्या 08 ग्राम पंचायत भोपालगढ ने विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया था। अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी उक्त पट्टे की जानकारी

पूर्व में प्रार्थीया को नहीं होने से व्यथित होकर निगरानीधीन पट्टा निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीधीन पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व विधिक प्रावधानों का अवलोकन एवं पालन किये बिना ही जारी कर देने, ग्राम पंचायत भोपालगढ के तत्कालीन सरपंच अप्रार्थी संख्या 01 के पिता श्री बादरराम द्वारा सन् 1980 में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं को व अपने नाबालिग पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 जिसकी उस वक्त उम्र 03 वर्ष 07 माह 29 दिन थी को लाभ पंहुचाने की नीयत से अप्रार्थी संख्या 1 का अबाध रूप से कब्जा मानते हुए एवं भूमि का मूल्य 500/- रूपये आंकते हुए बाजार मूल्य से भी कई गुणा कम मूल्य में ग्राम पंचायत भोपालगढ की गैर-मुमकिन मगरा की भूमि को आबादी भूमि बताकर पट्टा संख्या 1 जारी किया जाने, नाबालिग अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर न तो कभी कब्जा किया गया और न ही ऐसे कथाकथित कब्जे के आधार पर आबादी भूमि को विक्रय या क्रय किया जा सकता था न ही अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम क्रेता की श्रेणी में आता था और न ही तथाकथित क्रय की गई भूमि की राशि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जमा की जा सकती थी, इस बिनाय पर प्रथम तो ऐसा विक्रय करने का अधिकार ही उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शून्य दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कोई विक्रय विलेख निष्पादित करवाये गये है तो वे सभी दस्तावेज नल एण्ड वोईड_होने, पट्टा संख्या 1 जारी करते समय अप्रार्थी संख्या 1 नाबालिग होने के कारण अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा पट्टा जारी करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया मात्र कागजी कार्यवाही/खानापूर्ति होने, अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बालिग होते ही उक्त पट्टा संख्या 1 व उसकी भूमि को ग्राम पंचायत भोपालगढ को समर्पित/सरेंडर नहीं कर उक्त पट्टा संख्या 1 की भूमि को मात्र 15 वर्ष की उम्र में नाबालिग होने के बावजूद अपने आप को बालिग बताकर 13.01.1992 को अप्रार्थी संख्या 2, 4 व 7 को बेचान करने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 6 व 7 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से खरीदसुदा भूमि को अप्रार्थी संख्या 3 को बेचान कर देने, अप्रार्थी संख्या 1 के पिता तत्कालीन सरपंच बादरराम देवड़ा द्वारा वार्ड पंचों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने तथा बाद में अप्रार्थी संख्या 01 से 07 ने मिलकर ग्राम पंचायत की मुख्य बस स्टेण्ड भोपालगढ की करोड़ों रूपये की जमीन को औने-पौने दामों में बैचान-खरीद करके भ्रष्टाचार किया जाने, अप्रार्थी संख्या 8 ग्राम पंचायत भोपालगढ द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 145 से 155 के प्रावधानों की पालना किये बिना ही अपीलाधीन पट्टा जारी किया जाने, खसरा संख्या 963 की भूमि गैर-मु. मकान/मगरा की भूमि होने पर भी आबादी में लेने की प्रक्रिया अपनाये बिना ही अप्रार्थी संख्या 8 ग्राम पंचायत भोपालगढ द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से आलौच्य पट्टा जारी किया जाने, अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से जारी करवाये गये पट्टे की भूमि को दिनांक 13.01.1992 को अप्रार्थी संख्या 02 व 04 से 07 को बेचान करने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 06 व 07 द्वारा अपनी खरीदसुदा भूमि को अप्रार्थी संख्या 03 को बेचान करने आदि आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत कर पंचायत निगरानी स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत भोपालगढ द्वारा दिनांक 03.10.1980 को मिसल संख्या 41/10.07.1980 को जारी पट्टा संख्या 01 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण से संबंधित लिखित बहस एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के

निर्णयों की नजीरे पेश कर सरपंच ग्राम पंचायत भोपालगढ द्वारा दिनांक 03.10.1980 को मिसल संख्या 41/10.07.1980 को जारी पट्टा संख्या 01 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की निर्णय नजीरों का अवलोकन एवं गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम पंचायत भोपालगढ के तत्कालीन सरपंच श्री बादरराम ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं एवं अपने नाबालिग पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुंचाने की नीयत से 40x85+75 = 355.55 वर्ग गज नाप की भूमि का मूल्य मात्र 500/- रूपये आंकते हुए मिसल संख्या 41/10.07.80 पट्टा संख्या 01 जारी किया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 की राजस्थान माध्यमिक बोर्ड अजमेर द्वारा जारी 10वीं की अंकतालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि अनुसार जन्म दिनांक 01.02.77 एवं पट्टा जारी करने की दिनांक 03.10.80 को अप्रार्थी संख्या 1 की उम्र 3 वर्ष 7 माह 29 दिन थी, अर्थात् पट्टा जारी करने की दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1 पूर्णतया नाबालिग था। ग्राम पंचायत भोपालगढ के तत्कालीन सरपंच एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता श्री बादरराम ने ग्राम भोपालगढ के बस स्टेण्ड पर बेशकीमती भूमि का बाजार मूल्य से कई गुना कम मूल्य में गैर मुमकिन मगरा की भूमि को आबादी बताकर पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत भोपालगढ को आर्थिक क्षति पहुंचायी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 03.10.1980 को जारी पट्टा संख्या 1 विधि की उचित प्रक्रिया पालना किये बगैर जारी किया गया है जो कि एक शून्य दस्तावेज है जिसके द्वारा यदि कोई विक्रय विलेख निष्पादित किया जाता है तो वे सभी दस्तावेज नल एण्ड वोईड है। उपर्युक्त स्थिति के विवेचन से सरपंच ग्राम पंचायत भोपालगढ द्वारा मिसल संख्या 41/10.07.1980 में दिनांक 03.10.1980 को जारी किया गया पट्टा विलेख संख्या 01 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, अत: निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मिसल संख्या 41/10.07.1980 दिनांक 03.10.1980 को जारी किया गया पट्टा विलेख संख्या 01 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर